FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0324 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/12/2025 15:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएं)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 04/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:39 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/12/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/12/2025 15:40:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARALYA SAHAYAK ABHIYANTA, A.V.V.N.L. KEKRI

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJARAM SAINI

(b) Father's Name (पिता का नाम): HAJARILAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1986 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BASSI, TODARAISINGH, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BASSI, TODARAISINGH, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्रम सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NATHULAL MAHAVAR		पिता: MANGILAL MAHAVAR	1. JUNIYA,KEKRI,केकड़ी, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		14,000.00

12. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 14,000.00

13. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

14. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवार्थ, श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। विषय - श्री नाथुलाल बाबु बिजली विभाग के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने बाबत्। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी राजाराम सैनी गांव बस्सी, टोंक का निवासी हूं। मेरी ग्राम जूनिया, केकड़ी में एक्साईड-एफ, बैटरी इन्वेटर व गाडियों का सेल्फ अल्टीनेटर लगाने की दूकान है। मैं मीलन सौर ऊर्जा व लीलमैक्स पावर सल्यूशन कम्पनी के वेन्डर के लिए सोलर रूप टॉप प्लांट इन्सटॉलेशन का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा लगाये गये सोलर प्लांट के उपभोक्ताओं की सोलर नेट मिटरिंग की फाईलें सहायक अभियंता कार्यालय, एवीवीएनएल, केकडी से अप्रूव करवाने का काम भी मेरे द्वारा किया जाता है, उक्त अप्रूवल के पश्चात् ही सरकार द्वारा सोलर उपभोक्ता को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सहायक अभियंता कार्यालय केकडी में कार्यरत नाथू लाल जी बाबू मेरे उपभोक्ता की फाइलें कार्यालय से अप्रूव करवाने के लिए प्रति पत्रावली 2000 रूपये रिश्वत राशि लेते है। नाथू लाल जी ने पूर्व में मेरी फाइलों को अप्रूव करने के लिए ऑनलाईन पेमेंट मांगा जो उपभोक्ताओं का कार्य होने के कारण मजबूरीवश मुझे इनको पेमेंट करना पडा, जो मैने फोन-पे से किया था। अभी मेरी पूर्व की अप्रूवलशुदा चार फाइलों का पेमेंट मांग रहे है तथा मैं तीन फाइलें कल लगाउंगा जिसका भी प्रति फाइल के हिसाब से 2000 रूपये देने हेतु कहा है। इस प्रकार चार पूर्व में अप्रूवल शुदा फाईलो एवं तीन नई फाईलो सहित कुल 7 फाईल के 14000 रूपये व चार मीटर टेस्टिंग के 2000 रूपये कुल 16,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे। मैं नाथू लाल जी को मैं रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं मेरी नाथू लाल जी से कोई रंजीश व ना ही मेरे कोई उधारी मांगते है। एस.डी., राजाराम सैनी, ग्राम जुनिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर कार्यवाही पुलिसकार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे0 अजमेरदिनांक 02.12.2025 समय 04.30 पीएमइस समय परिवादी श्री राजाराम सैनी पुत्र श्री हजारी लाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी गांव बस्सी, तहसील टोडारायसिंह, टोंक मो.नं. ने उपस्थित कार्यालय हाजा होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी से दरियाफ्त की तो बताया कि " मेरी ग्राम जूनिया, टोंक में एक्साईड बैटरी इन्वेटर व गाडियों का सेल्फ अल्टीनेटर लगाने की दूकान है। मैं मीलन व लीलमैक्स पावर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के वेन्डर के लिए सोलर रूप टॉप प्लांट इन्सटॉलेशन का कार्य करता हूं इन्सटॉलेशन के साथ ही उपभोक्ताओं की सोलर नेट मिटरिंग की फाईलें सहायक अभियंता कार्यालय, एवीवीएनएल, केकडी से अप्रूव करवाने का काम भी मेरे द्वारा किया जाता है, उक्त अप्रूवल के पश्चात् ही सरकार द्वारा सोलर उपभोक्ता को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सहायक अभियंता कार्यालय केकडी में कार्यरत नाथू लाल जी बाबु मेरे उपभोक्ता की फाइलें कार्यालय से अप्रूव करवाने के लिए प्रति पत्रावली 2000 रूपये रिश्वत राशि लेते है, नाथू लाल जी ने पूर्व में मेरी फाइलों को अप्रूव करने के लिए ऑनलाईन पेमेंट मांगा जो उपभोक्ताओं का कार्य होने के कारण मजबूरीवश मुझे इनको फोन-पे से इनके मोबाईल नम्बर पर पेमेंट करना पडा। अभी मेरी पूर्व की अप्रूवलशुदा चार फाइलों का पेमेंट मांग रहे है तथा मैं तीन फाइलें कल लगाउंगा जिसका भी प्रति फाइल के हिसाब से 2000 रूपये देने हेतु कहा है। इस प्रकार चार पूर्व में अप्रूवल शुदा फाईलो एवं तीन नई फाईलो सहित कुल 7 फाईल के 14000 रूपये व प्रति मीटर टेस्टिंग के 500 रूपये के हिसाब से चार मीटर टेस्टिंग के 2000 रूपये कुल 16,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे। मैं नाथू लाल जी को मैं रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं मेरी नाथू लाल जी से कोई रंजीश व ना ही मेरे कोई उधारी मांगते है।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होना पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाया व श्री हुकमाराम कानि. से कार्यालय अलमारी मे से वॉयस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को ऑपरेट करने की समझाईस की गई। परिवादी ने बताया कि कल मैं तीन और फाइलें लगवाने व मीटर टेस्टिंग के लिए सहायक अभियंता कार्यालय में नाथू लाल जी से बात करूंगा तो कल रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो सकता है। इस पर श्री हुकमाराम कानि. एवं परिवादी के फोन नम्बर आदान-प्रदान करवाये गये तथा आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी को रवाना किया। दिनांक 03.12.2025 समय 07.00 ए.एम. पर वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री हुकमाराम कानि. को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी श्री राजाराम सैनी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु केकडी रवाना किया गया। समय 02.00 पीएम पर श्री हुकमाराम कानि0 ने जरिये वाट्सएप कॉल मन् निरीक्षक पुलिस की परिवादी से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया कि " मैंने सहायक अभियंता कार्यालय में पहुंचकर श्री नाथू लाल को अपनी तीन और फाइलें देकर इन्हें अप्रूव करने तथा मीटर

टेस्टिंग करने का बोला तथा पूरानी चार फाइलों व इन फाइलों सहित सात फाईलो को अप्रूव करने के बारे मे कहा तो उसने कहा की मैं सारी डिटेल वाट्सअप कर दूंगा। चूंकि श्री नाथुलाल मेरे से फोन-पे से पैसे लेता था इसलिए मैने नाथुलाल जी को कहा कि फोन-पे कर दूंगा, फाईनल बता दो तो वो कहता है कि बाद में बता दूंगा, जो भी होगा तो मैंने कहा कि चौदह हजार डाल दू तो नाथुलाल ने कहा सोलह कर देना तो मैने कहा पन्द्रह कर दू तो वह 15000 रूपये लेने पर सहमत हुआ हैं। नाथुलाल ने रिश्वत राशि फोनपे करने का कहा है, परन्तु मैं फोनपे नहीं करके कल कैश ही दे दूंगा तो वह ले लेगा।" इस पर श्री हुकमाराम कानि. से वार्ता की तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। परिवादी को 15000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल सुबह 7.30 एएम पर अजमेर उपस्थित होने हेतु अवगत कराया। श्री हुकमाराम कानि0 परिवादी को मौके पर फारिक कर उपस्थित आया तथा वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि "मैं कार्यालय से रवाना होकर केकड़ी बस स्टेण्ड पहुंचा, जहां परिवादी श्री राजाराम फोन पर हुई वार्ता अनुसार उपस्थित मिला। फिर मैं व परिवादी कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल, केकड़ी के पास पहुंचे तथा मैंने परिवादी को रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईस कर रिकार्डर चालु कर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु सहायक अभियन्ता कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मैं बाहर ही खड़ा रहा। बाद वार्ता परिवादी उपस्थित आया तथा बताया कि श्री नाथुलाल 15000 रूपये रिश्वत लेना तय किया है तथा रिश्वत राशि कल ही लेगा। इस पर मैंने रिकार्डर चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा बतायी गई बातो की ताईद हुई। दिनांक 04.12.2025 को परिवादी श्री राजाराम तथा स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल मुन्दडा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री गौरीशंकर मीणा पटवारी, उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी एवं गवाहान के समक्ष दिनांक 03.12.2025 को परिवादी श्री राजाराम एवं आरोपी श्री नाथुलाल के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट एवं उक्त वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार करवाया। मूल मेमोरी कार्ड कपडे की थेली को सील्ड कर मार्क "एम" अंकित किया। परिवादी श्री राजाराम द्वारा प्रस्तुत रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 28 नोट कुल राशि 14000 रूपये के नोटो के नम्बरों को फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट में अंकित करवाये जाकर श्री लखन टेपण कानि0 420 को बुलाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री लखन टेपण कानि0 से कार्यालय अलमारी में से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री राजाराम के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गौरी शंकर मीणा से लिवाया जाकर पाउडर लगी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री लखन टेपण कानि0 से रखवायी गयी। परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया। उक्त गुलाबी घोल को श्री लेखन टेपण कानि0 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया तथा ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी उक्त ईशारा समझाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द तैयार करवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल मुन्दड़ा, श्री गौरी शंकर मीणा एवं एसीबी स्टॉफ श्री युवराज सिंह सउनि, श्री मनफूल कानि0 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन मय चालक कानि0 श्री जगदीश के एवं परिवादी श्री राजाराम व श्री भरत सिंह कानि0, श्री हुकमाराम कानि0 परिवादी की वेन से जिला चिकित्सालय केकड़ी के सामने पहुंचे। परिवादी ने बताया कि मुझे सोलर मिटर चैक करवाना है इसलिए मैं गांव जाकर सोलर मिटर लेकर आता हूं उसके बाद रिश्वत लेन-देन हेतु जाउंगा। इस पर परिवादी को रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान केकड़ी मुकिम रही। कुछ सयम बाद परिवादी श्री राजाराम मन् निरीक्षक पुलिस के पास एवीवीएनएल कार्यालय के सामने उपस्थित आया। समय 12.24 पी.एम. पर परिवादी श्री राजाराम को रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल के लिए रवाना किया समय 12.39 पीएम परिवादी श्री राजाराम ने कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल, केकड़ी जिला अजमेर परिसर के गेट पर खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री युवराज सिंह सउनि, श्री हुकमाराम कानि0, श्री भरत सिंह कानि0, श्री मनफूल कानि0 एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर गेट पर खडे परिवादी राजाराम के पास पहुंची तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया तथा परिवादी ने बताया कि श्री नाथुलाल ने मेरे से वार्ता की तथा मैने इनको मेरे सोलर मीटर की डीआर रिपोर्ट वाट्स-अप की जिसका प्रिंट इन्होने मुझे दिया उसके बाद नाथुलालजी मेरे साथ उठकर पास में स्थित कमरे में गया तथा मैने कहा कि कल मेरे खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने से मै फोन-पे नही कर पाया। ये 14000 रूपये इस पर इसने टेबल के उपर रखी फाईल की तरफ ईशारा करते हुए कहा रख दो और मैने रिश्वत राशि टेबल पर रखी फाईल के उपर रखी तो इन्होने रिश्वत राशि के उपर कुछ कागज रख दिये। उसके बाद ये मेरे पीछे-पीछे कमरे से बाहर आकर अपने कमरा नं. 6 में अपनी कुर्सी पर आ गये और मैंने बाहर परिसर के गेट पर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि का ईशारा कर दिया। इस पर परिवादी को साथ लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान कार्यालय सहायक अभियन्ता भवन में प्रवेश किया तथा भवन के दाहिनी साईड में कमरा नं. 6 में

प्रवेश किया तो गेट के पास बांयी और कुर्सी पर लाईट ब्ल्यू पेंट एवं ब्ल्यू ही स्वेटर पहने हुए व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी ने बताया यही नाथुलाल जी है इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उक्त व्यक्ति को परिचय पूछा तो अपना नाम नाथुलाल महावर, इंजीनियर सुपरवाईजर (तकनिकी पर्यवेक्षक) कार्यालय सहायक अभियन्ता, एवीवीएनएल, (पवस) केकड़ी जिला अजमेर होना बताया। आरोपी श्री नाथुलाल महावर को रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो कहा मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है। मुझे पैसो का पता नही है। इस पर परिवादी ने कहा कि इन्होने रिश्वत राशि अपने पास वाले कमरे में रखवायी है तो श्री नाथुलाल महावर को हमराह लेकर पास वाले कमरे गये तो परिवादी के बताये अनुसार सामने रखी टेबल के उपर रखी कथई कलर की फाईल कवर के उपर 500-500 के कुछ नोट रखे नजर आये तथा नोटो के उपर कुछ कागज रखे नजर आये। इस पर श्री नाथुलाल महावर को उक्त रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो कहा मेरे को पता नही है यह तो कमरा खुला रहता है मैने कोई कागज नही रखवाये कौन रख के गया मेरे को पता नही हैं। मेरे तो बात ही नही हुई है पैसो की। मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है मेरे इससे बात नही हुई है ना ही मैं इस कमरे मे आया हूं। इस पर आरोपी को मांग सत्यापन वार्ता के बारे में बताया तो कहा मैने श्री राजाराम से कल कोई वार्ता नही की हैं, फिर बोला वार्ता तो हुई है परन्तु मैने रिश्वत की मांग नही की हैं।" आरोपी कहता है कि इन्होने मेरे से एक प्रिंट आउट के लिए कहा तो मैने दे दिया इसको। मैं तो इस कमरे मे आया ही नही मेड़म। वहीं मिले थे उस कमरे मे इधर तो मै आया ही नही था।" इसके बाद टेबल पर रखी फाईल के उपर से रिश्वत राशि गवाह श्री राहुल मुन्दड़ा से उठवायी जाकर गिनवायी गई तो 500-500 रूपये के 28 नोट कुल 14000 रूपये होना बताया। इस नोटो को गवाह श्री राहुल मुन्दड़ा के पास सुरक्षित रखवाये गये तथा सहायक अभियन्ता कार्यालय में से साफ पानी का स्टील का लोटा मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में रिश्वत राशि बमरादगी स्थल टेबल पर रखी फाईल के कवर को रूई के फोहे से रगडकर डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थित परिवादी एवं गवाहान को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क F-1 व F-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि के आरोपी श्री नाथुलाल ने हाथ नही लगाया था तथा रिश्वत राशि परिवादी द्वारा बतायी हुई स्थित मे ही मिलने के कारण आरोपी श्री नाथुलाल के हाथ नही धुलवाने का निर्णय लिया गया। इस पर श्री रणजीत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बताये अनुसार सहायक अभियन्ता कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। गवाह श्री राहुल मुन्दड़ा के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 14000 रूपये को दोनो गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये के 28 नोट होकर फर्द से मिलान कर हूबहू होना बताया। रिश्वत राशि 14000 रूपये को एक कागज के पीले लिफाफे मे रखकर लिफाफे सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। तत्पश्चात् ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री राजाराम एवं आरोपी श्री नाथुलाल महावर के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। आरोपी को उक्त वार्ता के संबंध में पूछा तो चुप हो गया तथा कोई उत्तर नही दिया। श्री रणजीत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने पूछने पर बताया कि यदि किसी व्यक्ति को सोलर रूफ टॉप कनेक्शन लेना है तो केन्द्रीय सरकार की पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जाता हैं। उसके बाद आवेदक अपना वैण्डर चुनकर सोलर प्लांट लगवाता है। प्लांट लगने के बाद सोलर प्लांट को नेट मिटरिंग के लिए मेरे पास फाईल जमा करवाता हैं। उसके बाद मैं नेट मिटर एवं सोलर मिटर की कनेटिंग के लिए एससीओ (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) निकालकर संबन्धित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता के पास भेजते हैं। कनिष्ठ अभियन्ता सोलर मीटर एवं नेट मिटर की कनेक्टिंग करके पालना रिपोर्ट मेरे पास भिजवाते है तो मैं उक्त पत्रावली राजस्व शाखा में ए.आर.ओ. श्री हिमांशु के पास भेजता हूं, जिनके द्वारा पत्रावली रिकार्ड में रखी जाती हैं। श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव, श्री महावीर प्रसाद, श्री राज सिंह महावर एवं श्री ताराघोष की पत्रावलीयां ए.आर. ओ. से लाकर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त तीन पत्रावलीयों में वैण्डर कंपनी लीलमैक्स पावर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड तथा श्री तारकघोष में वैण्डर मिलन सोलर है। उक्त चारो पत्रावलीयां मुझे किसने दी, आज मुझे जानकारी नही है परन्तु कोई हमारे कार्यालय का कर्मचारी भी मुझे कनेक्शन एवं सोलर प्लांट से सम्बन्धित फाईल दे देते हैं। पूछने पर बताया कि हो सकता है यह पत्रावली श्री नाथुलाल महावर ने दी हो, आज मुझे याद नही हैं। उक्त चारो पत्रावलीयो में अप्रवुल होकर पूर्ण कार्यवाही हो चुकी हैं। परिवादी श्री राजाराम द्वारा दिनांक 03.12.2025 को श्री नाथुलाल को दी गई तीन पत्रावलीयो के बारे में पूछा तो श्री रणजीत सिंह ने श्री नाथुलाल की कुर्सी के पीछे स्थित अलमारी में से पुजा देवी पोर्टल पर आवेदन की एप्लीकेशन रेंफरेंस नं. एनपी-आरजेएजेवाई25-8068111/02.07.2025 श्री शंकर लाल धाकड़ पोर्टल पर आवेदन की एप्लीकेशन रेंफरेंस नं. एनपी- आरजेएजेवाई24-003580431/05.09.2024 एवं श्री नाथुलाल की पोर्टल पर आवेदन की एप्लीकेशन रेंफरेंस नं. एनपी-आरजेएजेवाई25- 8042881/28.06.2025 की पत्रावलीयां लाकर पेश की। उक्त तीन पत्रावलीयां अभी तक मेरे को प्राप्त नही होने से कोई कार्यवाही नही हो सकी है। उक्त सातो पत्रावलीयो की प्रमाणित प्रति प्राप्त

की गई तथा मूल पत्रावलीयां श्री रणजीत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुपुर्द की गई। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल की फाईल के कवर जिस पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऑर्डर होकर अनुभाग सीताराम पुत्र श्री जगदीश धाकड़ लिखा हुआ है पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर फाईल मे से कवर निकालकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। परिवादी को आरोपी द्वारा दिये गये प्रिंट की प्रति पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। परिवादी ने बताया कि मैने पहले भी कई बार श्री नाथुलाल को करीब 40-45 हजार रूपये अपनी फाईल पास करवाने के एवज में फोन-पे किये है। इस पर आरोपी को उक्त राशि के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि "मैने उक्त फोन-पे राजाराम को सोलर प्लांट के सामान देने के बदले फोन-पे से प्राप्त किये हैं।" राजाराम को मैने सामान बैचा इसके बदले लिये है। मैने और किसी को सामान नही बैचा हैं। सामान कहा से आया तो कहा बाहर से मंगवाया हैं सोलर सामान मंगवाने से संबंन्धित कोई बिल मेरे पास नही हैं।" मैने आज तक राजाराम के अलावा किसी को सामान नही बेचा हैं।" आरोपी की तलाशी गवाह श्री गोरी शंकर से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल सेमसंग कम्पनी बरंग वाईट ब्ल्यू जिसमे दो सिमकार्ड लगे हुए है जिनमे एक सिमकार्ड जीओ कम्पनी । व दूसरी सिमकार्ड जीओ कम्पनी जिसके मोबाईल नम्बर होना आरोपी द्वारा अवगत कराया। आरोपी पेंट की जेब से 11655 रूपये तथा दुसरी जेब से 13100 रूपये तथा पेन कार्ड एवं आधार कार्ड मिले। आरोपी ने बताया कि 13100 रूपये श्री गिरीराज की डिमाण्ड पत्रावली के थे, जिसने मुझे आज सुबह दिये थे, जिसकी पत्रावली मेरी टेबल पर रखी हुई है। पत्रावली चैक किया तो डिमाण्ड 13100 रूपये होना पाया गया, जो श्री गिरीराज जो मौके पर उपस्थित है को सुपुर्द किये। दुसरी जेब में मिली राशि 11655 रूपये के बारे मे पूछा तो अपने खर्चे के होना बताया। उक्त राशि एवं मोबाईल एवं पेन कार्ड व आधार कार्ड आरोपी को सुपुर्द किये गये। बाद कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय आरोपी श्री नाथुलाल महावर जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिंटर इत्यादि मय वाहन सरकारी मय चालक कानि0 श्री जगदीश के तथा परिवादी श्री राजाराम अपनी वेन से केकड़ी से रवाना होकर एसीबी इन्टे, पहुंची। दिनांक 05.12.2025 को परिवादी एवं गवाहान के उपस्थित होने पर रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की तथा उक्त वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार किये। मूल मेमोरी कार्ड को सील्ड कर मार्क " एम-1 " अंकित किया जाकर फर्द एवं कपड़े की थेली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। जब्तशुदा मालखाना आईटम जमा मालखाना किये गये। फर्द नमुना सील मुर्तिब की गई।उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री राजाराम द्वारा लगाये गये सात उपभोक्ता के रूफ टोप सोलर प्लांट मे से चार उपभोक्ताओ श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव, श्री महावीर प्रसाद, श्री राजसिंह महावर एवं श्री ताराघोष के नेट मीटर एवं सोलर मीटर की कटिंग के लिए एससीओ (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) निकालकर पत्रावली में पूर्ण कार्यवाही करवाने के एवज में एवं श्रीमती पुजा देवी, श्री शंकर लाल धाकड़ एवं श्री नाथुलाल की पोर्टल पर आवेदन की एप्लीकेशन में कार्यवाही पूर्ण करने कर कुल सात पत्रावलीयों एवं मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट के प्रति मीटर 500 के हिसाब से चार मीटर के 2000 रूपये के हिसाब से वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.12.2025 को 16000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 04.12.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी श्री राजाराम से आरोपी श्री नाथुलाल महावर द्वारा 14000 रूपये रिश्वत राशि रिकार्ड रूम में रखी टेबल के पर रखी फाईल के उपर रखवाकर प्राप्त करना, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। उक्त फाईल कवर के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री नाथुलाल महावर, इंजीनियर सुपरवाईजर (तकनिकी पर्यवेक्षक) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) एवीवीएनएल, केकड़ी जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित की जावेगी।(कंचन भाटी) निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,इन्टै0, अजमेर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नाथुलाल महावर पुत्र श्री मांगीलाल महावर निवासी जुनिंया केकडी जिला अजमेर, हाल इन्जिनियर सुपरवाईजर (तकनिकी पर्यवेक्षक) कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) एवीवीएनएल, केकडी जिला अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 69 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1837-40 दिनांक 06.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमरे 2- अधीक्षण अभियंता (पवस), अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. अजमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):
or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): meera beniwal Rank (पद): निरीक्षक
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]2/2025 1[illegible]2

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी भरे किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)